श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–08.05.2025 (गुरुवार) को समिति कार्यालय, रांची में संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 71वीं बैठक की कार्यवाही : –

01. **उपस्थिति** : उपस्थिति विवरणी अलग से संलग्न है।

क्रम सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	उपस्थित
2.	श्री सौरभ प्रसाद, अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री राजेश बखला, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्) झारखण्ड, रांची।	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

02. **कार्यसूची की मद संख्या–01** : दिनांक–18.03.2025 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 70वीं बैठक की कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

03. **कार्यसूची की मद संख्या–02** : दिनांक–18.03.2025 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 70वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के कृत अनुपालन प्रतिवेदन को प्राचार्य सह–सदस्य सचिव,ने.वि.स. द्वारा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत

Kamini Kumar

किया गया। तद्नुसार; समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

04. **कार्यसूची की मद संख्या–03** : अनुशासनहीनता एवं विद्यालय विरोधी कार्यो में संलिप्त विद्यालय के तीन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु विगत बैठक में निर्णय लिये गये थें। विगत बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री रवि प्रकाश सिंह, रसायनशास्त्र शिक्षक को दिनांक–07.04.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया था। साथ ही विद्यालय विरोधी कार्यो में संलिप्त तथा विद्यालय के माहौल को खराब करने के कारण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए विद्यालय के अन्य दो शिक्षकों श्री अतुल रंजन एक्का एवं श्री राकेश कुमार को दिनांक–08.04.2025 के प्रभाव से निलंबन हेतु आदेश प्राचार्य सह–सदस्य सचिव के स्तर से निर्गत किया गया था। समयक् विचारोपरान्त अनुशासनहीनता के आलोक में तीन शिक्षकों पर की गई कार्रवाई की कार्योत्तर संपुष्टि प्रदान की गई।

05. **कार्यसूची की मद संख्या–04** : बैठक में प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि. स. द्वारा निलंबित तीन शिक्षकों यथा (i) श्री रवि प्रकाश सिंह (ii) श्री अतुल रंजन एक्का एवं (iii) श्री राकेश कुमार की संचिका को प्रस्तुत किया गया। संचिका में संलग्न अभिलेखों/दस्तावेजों एवं आदेश की प्रति के अध्यनोंपरान्त प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ की सभी तथ्यों के आधार पर संबंधित तीनों शिक्षकों के प्रसंग में एक विस्तृत समेकित रिपोर्ट अपने अभिमत के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि निलंबन विमुक्ति अथवा अन्य नियमसंगत कार्यवाही पर समुचित विचार करते हुए निर्णय लिया जा सके।

06. **कार्यसूची की मद संख्या–05** : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री रौशन कुमार बक्शी प्रशासनिक पदाधिकारी, नेतररहाट आवासीय विद्यालय (सम्प्रति निलंबित) को ACB, पलामू के वाद संख्या–10/2024 के प्रसंग में माननीय उच्च न्यायालय,

Kamini Kumar Santosh

झारखण्ड द्वारा दिनांक–24.02.2025 के माध्यम से जमानत प्रदान की गई है। जमानत के उपरांत श्री बक्शी ने दिनांक–~~0?.03.2025~~ 01-03-2025 के माध्यम से प्राचार्य कार्यालय को योगदान देने हेतु अपना Representation दिया था। प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा श्री बक्शी के Representation एवं माननीय उच्च न्यायालय के जमानत संबंधी आदेश को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री बक्शी के प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में समीक्षा हेतु विद्यालय कार्यालय आदेश संख्या–502, दिनांक–17.03.2025 के माध्यम से एक समीक्षा समिति गठित की गई थी, जिस पर समिति के अध्यक्ष द्वारा संसूचित किया गया कि प्रासंगिक विषय पर समुचित विचार–विमर्श एवं निर्णय हेतु सभी बिन्दुओं को नियमानुसार कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की बैठक में उपस्थापित किया जाय। समिति के प्राप्त मंतव्य/प्रतिवेदन के उपरांत पुनः विद्यालय कार्यालय पत्रांक–578, दिनांक–27.03.2025 के माध्यम से एक पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को संप्रेषित किया गया, जिसके आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा कार्यालय पत्रांक–13/आ.16–05/2024/1274, दिनांक–23.04.2025 के माध्यम से विद्यालय को संसूचित किया गया कि चूंकि श्री बक्शी की नियुक्ति नेतरहाट विद्यालय समिति की नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा अनुशासन नियमावली,2011 के तहत की गई है; अतएव संबंधित विषय में **'नियुक्ति प्राधिकार'** के स्तर से ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाय; आवश्यकता पड़ने पर कार्मिक विभाग से परामर्श अपने स्तर से ही प्राप्त कर सकते हैं। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के प्रासंगिक पत्र के आलोक में पुनः संबंधित विषय पर विधिक परामर्श प्राप्त की गई। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के प्रासंगिक पत्र, विधिक परामर्श तद्नुसार, समिति की नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 के नियम–22 में Disciplinary Authority कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति है। संबंधित प्रसंग में प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने. वि.स. द्वारा सम्पूर्ण बिन्दुओं पर अब तक किये गये कृत कार्रवाई से संबंधित गोपनीय संचिका के माध्यम से सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संचिका के अध्ययनोपरान्त एंव विशेषकर दिनांक–24.02.2025 के माध्यम से माननीय

Kamini Kumar

उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा देय जमानत आदेश की समीक्षा की गई। सम्पूर्ण बिन्दुओं के विस्तृत समीक्षा के उपरांत चूंकि बक्शी की निलंबन अवधि लगभग 06 माह पूर्ण होने को है, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में कोई सशर्त बिन्दु का उल्लेख नहीं है; साथ ही साथ, झारखण्ड गजट के असाधारण अंक सं.-57 दिनांक-06.02.2012 में स्पष्ट है कि समिति स्तर से नियुक्त कर्मियों के प्रसंग में कार्यकारिणी समिति ही अनुशासनात्मक प्राधिकार है; अतएव विस्तृत समीक्षा के फलस्वरूप संबंधित गजट के नियम-22 के तहत श्री रौशन कुमार बक्शी को निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. सह-नियंत्री प्रदाधिकारी को अपने स्तर से निलम्बन विमुक्त हेतु आदेश निर्गत के लिए निदेश किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संदर्भित विषय के प्रसंग में माननीय न्यायालय का जो भी न्यायादेश प्राप्त होगा उसका अनुपालन भविष्य में किया जायेगा।

07. **कार्यसूची की मद संख्या-06** : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि इसी वर्ष अगस्त माह में विद्यालय पुस्तकालय की सहायक पुस्तकालय प्रभारी सेवा-निवृत्त होने वाली हैं, साथ ही लेखाशाखा में लेखा संबंधित कार्यों के लिए बर्सर पद पर सम्प्रति वरीय कर्मी को प्रभार दिया गया है, जो कि अगले वर्ष ही सेवा-निवृत्त होने वाले हैं। प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को यह भी बताया गया कि झारखण्ड गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-57, दिनांक-06.02.2012 में बर्सर पद के लिए विशिष्ट योग्यता का उल्लेख एवं निर्धारण किया गया है साथ ही लेखाशास्त्र का कार्य तकनीकी कार्य है, जिसमें संबंधित विषय का अनुभव एवं ज्ञान होना आवश्यक है। इन्हीं बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए बर्सर एवं लाइब्रेरियन पद के लिए प्राचार्य सह सदस्य सचिव द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2025 प्रकाशित किया गया है। कार्य आवश्यकता एवं अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित विज्ञापन की कार्योत्तर संपुष्टि प्रदान की गई है।

08. **कार्यसूची की मद संख्या-07** : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि बर्सर एवं लाइब्रेरियन पद पर नियुचित हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2025 पर नियुक्ति हेतु चयन मापदण्ड का निर्धारण किया

Kamini Kumar

जाना आवश्यक है। प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को बताया गया कि संबंधित दोनो पदों पर योग्य एवं अनुभवी अभ्यर्थी की नियुक्ति हो सके इसके लिए समरूप पदों के संदर्भ में अन्य शैक्षिक संस्थाओं जैसे; केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति एवं अन्य प्रख्यात संस्थानों के आधार पर एक पाठ्क्रम सह-चयन मापदण्ड तैयार किया गया है। प्राचार्य द्वारा तैयार किये गये मापदण्ड को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् कतिपय आवश्यक संशोधन एवं सुझाव के साथ मापदण्ड प्रारूप की स्वीकृति समिति स्तर से प्रदान की गई। प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि संबंधित मापदण्ड का विभागीय स्तर से अनुमोदन हेतु इसे संचिका के माध्यम से प्रशासी विभाग को सम्प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

09. **<u>कार्यसूची की मद संख्या-08</u>** : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक-18.02.2025 को सम्पन्न हुई सामान्य निकाय, नेतरहाट विद्यालय समिति की समीक्षात्मक बैठक में इस आशय का निर्देश प्राप्त था कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु एक **मानक संचालन प्रक्रिया** (SOP) का निर्माण नेतरहाट विद्यालय समिति स्तर से किये जाने के पश्चात् इसका अनुमोदन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय, ताकि एक आधारभूत चयन मापदण्ड का निर्धारण हो सके। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि प्राप्त निर्देश के आलोक में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के प्रसंग में एक मानक प्रक्रिया का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रारूप को सभी सदस्यों के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रारूप के अवलोकनोपरान्त सभी सदस्यों का यह सुझाव हुआ कि मानक प्रक्रिया के निर्माण में राज्य एवं राष्ट्र के प्रतिष्ठित संस्थानों यथाः शिक्षकों के प्रसंग में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन अथवा नवोदय विद्यालय समिति अथवा अन्य संस्थानों के संचालन प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। समिति का मुख्य उद्देश्य मेधावी अभ्यर्थियों का चयन हो इसके लिए चयन मापदण्ड का प्रारूप उसी अनुरूप तैयार किये जाने चाहिए। इसी प्रकार शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुछेक पदो यथाः बर्सर, लेखापाल/लेखा-लिपिक, लाइब्रेरियन जैसे पदो के लिए संबंधित विषय में उम्मिदवारों का उत्कृष्ट

Kamini Kumar

कला–कौशल होनी चाहिए। सम्यक् विचारोपरान्त प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने. वि.स. द्वारा तैयार प्रारूप के संदर्भ में प्राचार्य को निर्देश हुआ कि अन्य संस्थानों यथाः झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थानों का अध्ययन कर तद्नुसार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुमोदन हेतु इसे संचिका के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को सम्प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।

10. **कार्यसूची की मद संख्या–09** : विगत बैठक के निर्णयानुसार विद्यालय में छात्रों के प्रयोजनार्थ शुद्ध दुग्ध हेतु दिनांक–29.04.2025 के माध्यम से सभापति द्वारा एक विस्तृत Project Report निदेशक, गव्य, झारखण्ड सरकार को सम्प्रेषित की गई। सभापति द्वारा सम्प्रेषित Project Report को सदस्यों के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया; तद्नुसार समर्पित Project Report की संपुष्टि प्रदान की गई ।

11. **कार्यसूची की मद संख्या–10** : सभापति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि नेतरहाट विद्यालय समिति की नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 के प्रावधानानुसार वर्तमान प्राचार्य श्री संतोष कुमार दिनांक–18.06. 2024 को विद्यालय में प्राचार्य के पद पर अपना योगदान दिये थें। सभापति द्वारा सदस्यों को यह भी बताया गया कि नियुक्ति आदेश में इस आशय का उल्लेख था कि नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष तक की सेवा परिक्ष्यमान अवधि होगी तथा परिक्ष्यमान अवधि संतोषप्रद पाये जाने पर सेवा सम्पुष्ट की जायेगी। सभापति द्वारा सदस्यों को यह भी बताया गया कि समिति की नियुक्ति, सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 के नियम 13(b) में वर्णित है कि "The employee shall be informed of his confirmation within 3 months of the completion of probation period."

सम्यक् विचारोपरान्त चूंकि नियुक्ति नियमावली के नियम–08 के अनुसार प्राचार्य के संदर्भ में नियंत्री एवं अनुशासनात्मक प्राधिकार सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति है; अतएव प्राचार्य सह–सदस्य सचिव अपने वार्षिक प्रतिवेदन (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहित) सभापति के समक्ष उपस्थापित करेंगे, जिसमें सभापति समुचित मंतव्य के साथ निर्णय लेने

Kamini Kumar

Santosh

की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्राचार्य के प्रासंगिक विषय पर परिचर्चा के क्रम में प्राचार्य को बैठक से बाहर रखा गया।

12. **कार्यसूची की मद संख्या–11** : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक–18.02.2025 को संपन्न हुई सामान्य निकाय नेतरहाट विद्यालय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत 47 पदों को एक संवर्गीय पद मानते हुए आरक्षण रोस्टर पंजी पुनः तैयार करने की कार्रवाई की जाय। बैठक में हुए निर्णय के आलोक में प्राचार्य द्वारा बताया गया कि शिक्षकों के सभी पदों को एक संवर्गीय पद मानते हुए रोस्टर पंजी तैयार कराई गई है। तैयार रोस्टर पंजी को सदस्यों के अवगतार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया; तद्नुसार तैयार रोस्टर पंजी की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि रोस्टर पंजी को विभागीय अनुमोदन हेतु संचिका के माध्यम से प्रेषित करने की कार्रवाई अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

13. **कार्यसूची की मद संख्या–12** : दिनांक–18.02.2025 को सम्पन्न हुई सामान्य निकाय, ने.वि.स. की बैठक के निर्णयानुसार नेतरहाट प्रवेश परीक्षा संचालन हेतु संचालन प्रक्रिया का प्रारूप सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया गया; तद्नुसार संचालन प्रक्रिया के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ कि संबंधित प्रारूप पर विभागीय अनुमोदन हेतु संचिका के माध्यम से इसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को सम्प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

14. **कार्यसूची की मद संख्या–13** : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि नवनिर्मित अष्टम आश्रमवर्ग के तीनो आश्रमों का अन्य की भाँति नामकरण किया जाना आवश्यक हैं। पूर्व के सभी आश्रमों के नाम को ध्यान में रखते हुए इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि अष्टम आश्रमवर्ग के तीनों आश्रमों का नामकरण झारखण्ड राज्य के स्वतंत्रता सेनानीयों के नाम से रखा जाना उचित होगा। सम्यक् विचारोपरान्त अष्टम आश्रमवर्ग के तीनों आश्रम का नाम निम्नवत् रखे जाने पर सहमति व्यक्त की गई : (क) नीलाम्बर–पीताम्बर (ख) सिन्धु–कान्हू एवं (ग) वीर बुधु

Kamini Kumar

भगत। संदर्भित विषयक प्राचार्य द्वारा बताया गया कि विद्यालय स्तर से शिक्षकों की एक आन्तरिक समिति भी सुझाव हेतु गठित की गई थी, जिसमे समिति का भी उक्त नामों पर सहमति बनी थी। प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि चूंकि अष्टम आश्रमवर्ग का नामकरण हो चुका है; अतएव संबंधित विषय पर अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

15. <u>अन्यान्य</u> –

(i) दिनांक–18.02.2025 को सम्पन्न हुई शासी निकाय की समीक्षात्मक बैठक के आलोक विभागीय स्तर से गठित उच्च स्तरीय समिति के गठन के फलस्वरूप संबंधित सदस्यों के यात्रा–व्यय एवं विविध आकस्मिक व्ययों का वहन नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान मद (गैर वेतन) से किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को बताया गया कि वर्ष, 2023–24 में तत्कालीन विद्यालय प्रशासन द्वारा शिक्षक नियुक्ति के प्रसंग में online आवेदन हेतु Software, M/s Computer Ed, Ranchi से बनाने का कार्य किया गया था। कार्य केवल प्राचार्य एवं तत्कालीन प्रभारी बर्सर के मौखिक निर्देश के आलोक में संपन्न कराई गई थी, (जैसा की संबंधित संवेदक द्वारा बताया गया) जिसके संदर्भ में विद्यालय स्तर से कोई कार्यादेश निर्गत नही किया गया था। प्राचार्य द्वारा बाताया गया कि M/s Computer Ed, Ranchi के द्वारा लगातार भुगतान हेतु विपत्र एवं आवेदन पत्र दिये जा रहें है। इस संदर्भ में सभी सदस्यों का यह सम्यक् विचार हुआ कि चूंकि सार्थ से कार्य ले लिया गया है; अतएव कार्य के प्रसंग में एक Work Performance Certificate तत्कालीन बर्सर से प्राप्त कर ली जाय, साथ ही कार्य प्रकृति का विस्तृत आकलन कर संचिका के माध्यम से एक प्रस्ताव/अभिमत समर्पित किये जाने एवं भुगतान प्रक्रिया निष्पादित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

Kamini Kumari Sandeep

(iii) सभापति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि श्री केदार नाथ लाल दास बिना किसी अनुमति के अनाधिकृत रूप से समिति कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में रूकावट डालने, अभद्र आचरण एवं दस्तावेजों को क्षति पहुँचाने का प्रयास किये थें, जिसके विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायीक दण्डाधिकारी, राँची के न्यायालय में Complaint case संख्या–0012838/2025 दायर की गई है। समयक् विचारोपरान्त दायर शिकायतवाद की संपुष्टि प्रदान की गई।

(iv) प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि नेतरहाट विद्यालय परिसर में शिक्षकों में शैक्षणिक गुणों के विकास के साथ–साथ नैतिक मूल्यों का भी प्रसार एवं विकास हो तथा छात्रों–शिक्षकों के बीच एक गुरु–शिष्य का आत्मिक जुडाव लम्बे समय के लिए बना रह सके इसके लिये शैक्षिक कार्याशाला का आयोजन होना चाहिए। शैक्षिक कार्याशाला के प्रसंग में विस्तृत रूपरेखा एवं आवश्यक बिन्दुओं पर एक प्रारूप तैयार करने हेतु सभापति, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

सभी सदस्यों का अभिवादन अभिव्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 16-5-2025

(संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

Kamini Kumar

नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक–08.05.2025 (गुरूवार) को आहूत 71वीं बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	Santosh 08-5-2025
2.	श्री सौरभ प्रसाद, अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।	सदस्य	Saurabh Prasad 8/5/2025
3.	श्री राजेश बाखला, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य	[illegible] 08/05/2025
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), झारखण्ड, राँची।	सदस्य	Kamini Kumar 08.05.2025
5.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	[illegible] 08/05/2025

ज्ञापांक– 27/ने.वि.स./2025 रांची, दिनांक–16.05.2025

प्रतिलिपिः– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ प्रो.(डॉ.) कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति/ प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 16-5-2025

(सभापति)
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।